न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) ग्वालियर (म.प्र.)

एमजेसीआर क्रमांक 1617/2022

नितिन सिंह तोमर पुत्र श्री रामशंकर सिंह तोमर, निवासी–ब्लॉक नं. अ–2 फ्लेट नं. 106 शहनाई रेजीडेन्सी ए बी रोड इन्दौर म.प्र. द्वारा मुख्त्यारआम दिनेश कुमार जैन पुत्र श्री मुन्नालाल जैन, निवासी–मकान नं. 55 शिवाजी नगर, आम खो, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.)

–––––आवेदक

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना झांसी रोड, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

–––अनावेदक

————————————————————————————————

16.07.2022

आवेदक नितिन सिंह तोमर की ओर से आम मुख्त्यार दिनेश कुमार जैन सहित अधिवक्ता श्री होतम सिंह राठौर उपस्थित।

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित।

कार्यालय पुलिस थाना झांसी रोड, जिला ग्वालियर से थाना झांसी रोड के अपराध क्रमांक 340/2022 अंतर्गत धारा 376, 376(2)(n), 343, 313, 120बी भारतीय दंड संहिता 1860, तथा धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

प्रकरण आवेदक नितिन सिंह तोमर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451, 457 दंप्रसं पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 451, 457 दंप्रसं पर आवेदक एवं विशेष लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक के आवेदनानुसार उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक बस डी.एल.एक्स, एस.एल.पी.आर. इंजन नं. व्ही.ई.डी.एक्स.537703के.6पी., जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP07 P2094 को पुलिस थाना झांसी रोड द्वारा अपराध क्रमांक 340/2022 में जप्त किया है, उक्त बस के जप्त रहने से उसके खराब होने की संभावना है तथा आवेदक के भरण–पोषण का वह एकमात्र साधन है। आवेदक न्यायालय की शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है, उक्त आधार पर जप्तशुदा बस सुपुर्दगीनामा पर दिया जाना चाहा गया है।

उक्त बस को सुपुर्दगीनामे पर दिनेश कुमार जैन को दिये जाने के संबंध में आम मुख्त्यार मूल एवं फोटोप्रति पेश की गई है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उक्त बस के पंजीकृत स्वामी नितिन सिंह तोमर द्वारा दिनेश कुमार जैन को उक्त बस सुपुर्दगीनामे में प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के आवेदन पर औपचारिक आपत्ति की है।

थाना झांसी रोड ग्वालियर से प्राप्त अपराध क्रमांक 340/2022 अंतर्गत अंतर्गत धारा 376, 376(2)(n), 343, 313, 120बी भारतीय दंड संहिता 1860 तथा धारा 3(1)(w)(ii), 3(2)(v), 3(2)(va) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार

निवारण) अधिनियम 1989 की केस डायरी से ज्ञात होता है कि उक्त अपराध के संबंध में थाना झांसी रोड द्वारा सिलीपर बस नंबर MP07 P2094 को उक्त बस के रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस एवं परमिट की छायाप्रति के साथ इस आधार पर जप्त किया है कि घटना उक्त बस में भी कारित हुई।

आवेदक की ओर से जप्तशुदा बस के संबंध में उक्त बंस का मूल रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेज पेश किये हैं, उक्त दस्तावेजों से आवेदक नितिन सिंह तोमर जप्तशुदा बस का प्रथमदृष्टया पंजीकृत स्वामी होना ज्ञात होता है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, उक्त बस के जप्त रहने से उसके खराब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक नितिन सिंह तोमर के आम मुख्त्यार दिनेश कुमार जैन को जप्तशुदा बस सुपुर्दगीनामे पर दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक की ओर से धारा 451, 457 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक के आम मुख्त्यार दिनेश कुमार जैन की ओर से **35,00,000/–रुपये (पैंतीस लाख रुपये)** का सुपुर्दगीनामा निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तुति पर उक्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जाए–

1. आवेदक उक्त वाहन के रंग, रूप, आकार, प्रकार में और उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
2. आवेदक उक्त वाहन को न्यायालय की बिना अनुमति के विक्रय नहीं करेगी और न ही किसी प्रकार से किसी अन्य को अंतरित करेगा।
3. न्यायालय द्वारा आवश्यकता होने पर आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त वाहन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

थाना प्रभारी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वाहन सुपुर्दगी में दिए जाने के पूर्व वाहन के चारो एंगल से रंगीन फोटोग्राफ्स लेकर न्यायालय में प्रस्तुत करे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी वापस की जाए।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर पत्रावली अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–
(प्रमोद कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज)
ग्वालियर म.प्र.

PRAMOD KUMAR
Digitally signed by PRAMOD KUMAR
Date: 2022.07.16 16:20:38 +0530